न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2018/319** दायर दिनाँक **11.09.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. खातून पत्नी कासमदीन, उम्र—68साल, जाति—शैरानी, निवासी—नूरी मौहल्ला, शैरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा— 136 L.R.Act.

उपस्थित :—

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **26.12.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 474 रकबा 20.01 बीघा व सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 459 रकबा 01.04 बीघा व खसरा नम्बर 940 रकबा 17.00 बीघा भूमि अवस्थित है जो वादी के खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी का विवाह अजीजखाँ पुत्र हासमखाँ जाति शैरानीआबाद से हुआ था। वादग्रस्त खेतों की के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पति अजीजखाँ का नाम दर्ज हो रखा है। वादी के पति अजीजखाँ का स्वर्गवास करीब 45 साल पूर्व हो गया तथा वादी ने अपने देवर कासमदीन पुत्र हासमखाँ जाति शेरानी निवासी शेरानीआबाद के साथ पुनः विवाह कर लिया। वादी के दस्तावेजात् यथा— राशनकार्ड, आधारकार्ड, निर्वाचन परिचय—पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता में वादी के वर्तमान पति

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

कासमदीन दर्ज हो रखा है जबकि वादग्रस्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पूर्व पति अजीजखॉं का नाम दर्ज हो रखा है।

वादी वादग्रस्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम के साथ अपने पूर्व पति अजीजखॉं के स्थान पर कासमदीन दुरस्त करवाना चाहती है, जिस हेतु दावा पेश किया गया है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 474 रकबा 20.01 बीघा व सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 459 रकबा 01.04 बीघा व खसरा नम्बर 940 रकबा 17.00 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में वादी के पूर्व पति के नाम "अजीजखॉं" के स्थान पर वादी के वर्तमान पति के नाम "कासमदीनखॉं" को दर्ज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार डीडवाना को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 2336 दिनाँक 24.12.2018 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि, वादी के पूर्व पति अजीजखॉं का स्वर्गवास होने के बाद वादी ने अपने देवर कासमदीन से विवाह कर लिया है इस कारण से वादी का नाम वादी के अन्य दस्तावेजात् यथा– राशनकार्ड, आधारकार्ड, निर्वाचन परिचय–पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता में वादी के वर्तमान पति कासम का नाम दर्ज है।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम खाटूखुर्द सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 115/98 खसरा नम्बर 474 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम शेरानीआबाद सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 133/122 खसरा नम्बर 474 की प्रमाणित प्रतिलिपि, परिवार राशन–कार्ड की छायाप्रति, यूको बैंक द्वारा जारी बैंक डायरी की छायाप्रति

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

(वादी व उसके पति की), आधार कार्ड की छायाप्रति, भामाशाह कार्ड की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र की छायाप्रतियाँ (वादी व उसके पति की), पेश की है।

विद्वान वकील की एकपक्षीय सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकील अनुतोष वादी माफिक दावा डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वादी जरिये वकील दावानुसार डिक्री चाहते है कि, सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 474 रकबा 20.01 बीघा व सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 459 रकबा 01.04 बीघा व खसरा नम्बर 940 रकबा 17.00 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के पूर्व पति के नाम "अजीजखाँ" के स्थान पर वादी के वर्तमान पति के नाम "कासमदीन" के नाम को दर्ज किया जावे। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की गयी है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वादी के दस्तावेजात् यथा– राशनकार्ड, आधारकार्ड, निर्वाचन परिचय–पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता में वादी के वर्तमान पति कासमदीन दर्ज हो रखा है जबकि वादग्रस्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पूर्व पति अजीजखाँ का नाम दर्ज हो रखा है। ऐसी स्थिति में, सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 474 रकबा 20.01 बीघा व सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 459 रकबा 01.04 बीघा व खसरा नम्बर 940 रकबा 17.00 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के पूर्व पति के नाम "अजीजखाँ" के स्थान पर वादी के वर्तमान पति के नाम "कासमदीन" को दुरस्त किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–319 / 2018
दायर दिनाँक 11.09.2018 निणर्य दिनाँक 26.12.2018
खातून बनाम् ईब्राहिम तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

—:आदेश :—

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 474 रकबा 20.01 बीघा व सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 459 रकबा 01.04 बीघा व खसरा नम्बर 940 रकबा 17.00 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के पूर्व पति के नाम "अजीजखाँ" के स्थान पर वादी के वर्तमान पति का नाम "कासमदीन" दुरस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **26.12.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2018 / 319** दायर दिनाँक **11.09.2018**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. खातून पत्नी कासमदीन, उम्र—68साल, जाति—शैरानी, निवासी—नूरी मौहल्ला, शैरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा— 136 L.R.Act.

दिनाँक **26.12.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 474 रकबा 20.01 बीघा व सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 459 रकबा 01.04 बीघा व खसरा नम्बर 940 रकबा 17.00 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के पूर्व पति के नाम "अजीजखाँ" के स्थान पर वादी के वर्तमान पति का नाम "कासमदीन" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.......... ....—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **26.12.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

(सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner